



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10062024-254633
CG-DL-E-10062024-254633

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 410]
No. 410]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 10, 2024/ज्येष्ठ 20, 1946
NEW DELHI, MONDAY, JUNE 10, 2024/JYAISHTHA 20, 1946

राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जून, 2024

फा.सं. टीई- 32/2/2023- एनडीएसए- एमओडब्ल्यूआर.—बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 (2021 का 41) की धारा 54 की उप-धारा (2) के खंड (च) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण, बांध सुरक्षा संबंधी राष्ट्रीय समिति की सिफारिशों के आधार पर निम्नलिखित विनियमित है, अर्थात्: -

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम बांध निर्माण विनियम, 2024 के लिए गुणवत्ता नियंत्रण उपाय है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं: - (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) "अधिनियम" में बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 (2021 का 41) अभिप्रेत है;

(ख) "प्राधिकरण" में अधिनियम की धारा 8 के अधीन स्थापित राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(ग) "धारा" में अधिनियम की धारा अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं और इन विनियमों में परिभाषित नहीं हैं किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में हैं।

3. बांध निर्माण के लिए गुणवत्ता नियंत्रण उपाय –

धारा 26 की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकरण या राज्य सरकार द्वारा प्रत्यायोजित प्रत्येक अभिकरण, -

- (i) अर्थ और रॉकफिल बांधों का निर्माण, 'अर्थ और रॉकफिल बांधों के निर्माण के गुणवत्ता नियंत्रण-- अर्थ और रॉकफिल बांधों के निर्माण संबंधी संस्तुतियां' के नियमों से संबंधित भारतीय मानक ब्यूरो कोड: 14690 के अद्यतन संस्करण की अपेक्षाओं को पूरा कर उसके अनुसार उनका अनुपालन किया जाना;
- (ii) सादे और प्रबलित कंक्रीट बांधों के निर्माण के लिए, 'कंक्रीट बांधों के निर्माण हेतु बांध और अन्य विशाल संरचनाओं के लिए सादे और प्रबलित कंक्रीट के साधारण निर्माण के लिए अभ्यास संहिता' से संबंधित, भारतीय मानक ब्यूरो कोड: 457 के नवीनतम संस्करण की आवश्यकताओं का अनुपालन किया जाना; और
- (iii) उन बांधों के निर्माण के लिए जो खंड (i) और (ii) के दायरे में नहीं आते हैं, उस परियोजना के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, भारतीय मानक ब्यूरो के सुसंगत दस्तावेजों के नवीनतम संस्करण का अनुपालन किया जाना और यदि ऐसे दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं, तो अन्य मानकों के नवीनतम संस्करण, अर्थात् अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन, बड़े बांधों पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग बुलेटिन और अन्य अंतरराष्ट्रीय मानक का अनुपालन किया जाना।

अनिल जैन, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./179/2024-25]

NATIONAL DAM SAFETY AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th June, 2024

F. No. TE-32/2/2023-NDSA-MOWR.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (f) of sub-section (2) of section 54 of the Dam Safety Act, 2021 (41 of 2021), the National Dam Safety Authority, on the recommendations of the National Committee on Dam Safety, hereby makes the following regulations, namely: -

1. Short title and commencement. – (1) These regulations may be called the Quality Control Measures for Dam Construction Regulations, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions: - (1) In these regulations, unless the context otherwise requires, -

(a) "Act" means the Dam Safety Act, 2021 (41 of 2021);

(b) "Authority" means the National Dam Safety Authority established under section 8 of the Act;

(c) "section" means section of the Act.

(2) Words and expressions used herein and not defined in these regulations but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. The quality control measures for dam construction. –

Every agency accredited by the Authority or the State Government under sub-section (1) of section 26 shall, –

(i) for the construction of Earth and Rockfill dams, comply with the requirements of the latest version of the Bureau of Indian Standard Code: 14690 relating to 'Quality Control during Construction of Earth and Rockfill dams—Recommendations for the construction of Earth and Rockfill dams';

(ii) for the construction of Plain and Reinforced concrete dams, comply with the requirements of the latest version of the Bureau of Indian Standard Code: 457 relating to 'Code of Practice for General Construction of Plain and Reinforced Concrete for Dam and Other Massive Structures for the construction of Concrete dams'; and

- (iii) for the construction of dams that do not fall within the ambit of clauses (i) and (ii), comply with the latest version of the relevant Bureau of Indian Standard documents and if such documents are not available, the latest versions of other standards, namely the International Organisation for Standardization, the International Commission on Large Dams bulletins and other international standards, after obtaining approval from the competent authority for the project.

ANIL JAIN, Chairman

[ADVT.-III/4/Exty./179/2024-25]